

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 2329/2012/झुझुनु

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापंचन, घट-द्वितीय, झुझुनु.

.....अपीलार्थी.

बनाम

प्रमोद कुमार प्रबंधक मैसर्स राजेश ट्रेडिंग कम्पनी,
सूरजगढ़ मण्डी, झुझुनु.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 20/04/2018

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 268/आरवैट/झुझुनु/2011-12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.08.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापंचन, घट-द्वितीय, झुझुनु (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 14.07.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।
2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।
3. अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश अविधिक एवं प्रकरण के तथ्यों के विपरीत होने के कारण अपास्तनीय है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।
4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए इसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं होने का तर्क दिया।
5. प्रकरण में कर निर्धारण आदेश एवं जांच रिपोर्ट के परिशीलन पर यह पाया कि प्रकरण में माल की जांच में राज्य की फर्म ARL Info Tech Ltd. Begaru, Jaipur से माल की खरीद किया जाना प्रकट किया था, जिसके बिल एवं बिल्टी संलग्न थे। इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 76(2) में वांछित दस्तावेज उपलब्ध थे। कर निर्धारण अधिकारी ने यह अभियोग इस आधार पर स्थापित किया है कि प्रत्यर्थी व्यक्ति श्री प्रमोद कुमार द्वारा व्यक्तिगत नाम से माल खरीद किया गया है एवं माल उनके पिता की पंजीकृत फर्म के गोदाम में खाली होना है अतः यह करवंचना का मामला है। जांच अधिकारी एवं उसके पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी ने केवल इस आधार पर धारा 76(2) का अभियोग बनाया है।



लगातार.....2

कि वह माल हालांकि विधिक बिल, बिल्टी से परिवहनित है परन्तु वह अन्ततः पिता के गोदाम में खाली होने वाला है अतः यह करवंचना के उद्देश्य से लाया गया माल है। कर निर्धारण अधिकारी का यह विचार यदि सत्य भी माना जावे तो भी वह अपराध तब घटित हो सकता था, जब वह माल उसके पिता के गोदाम में खाली हो जाने के बाद वह बिना बिल विक्रय कर दिया जावे, परन्तु यह सब माल के गोदाम में खाली होने के पश्चात् की परिस्थितियों का अनुमान है जबकि प्रत्यर्थी ने यह जाहिर किया था कि वह अपंजीकृत व्यक्ति के रूप में माल खरीद करने के लिये विधिक रूप से अधिकृत है। प्रकरण में यह प्रतीत होता है कि विभागीय अधिकारियों को परिवहन पूर्ण होने के पश्चात् करवंचना होने की चिंता थी परन्तु उस चिंता मात्र से अविधिक अभियोग स्थापित करना अनुचित है, इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(2) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था क्योंकि वक्त जांच माल के विधिक बिल एवं बिल्टी उपलब्ध थे एवं उनके मिथ्या होने का आक्षेप भी नहीं लगाया है ऐसी स्थिति में धारा 76(2) का उल्लंघन हुए बिना धारा 76(6) में शास्ति का आरोपण किया जाना अविधिक है, अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा जो निष्कर्ष दिये गये हैं वे विधिसम्मत हैं। अपीलीय अधिकारी के निष्कर्ष को भी यहां उद्धरित करना उचित होगा, जो कि निम्नांकित है :-

“प्रकरण में ए.सी.सी.एस जयपुर की फर्म मैसर्स ARL Info Tech Ltd. Begaru, Jaipur से श्री प्रमोद कुमार द्वारा बिल बिल्टी के माध्यम से परिवहनित करते हुये मंगवाया गया। पत्रावली में उपलब्ध जवाब से स्पष्ट होता है कि उसके द्वारा उक्त माल को व्यक्तिगत हैसियत मंगवाया जाना बताया गया एवं उक्त माल को पहली बार व्यापार करने के उद्देश्य से खरीदा जाना दर्शाया है। उक्त माल बिल एवं बिल्टी के समर्थन से खरीद कर परिवहनित किया गया एवं प्रस्तुत बिल एवं बिल्टी जाली होना भी साबित नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में 76(6) का अभियोग नहीं बनता है। जहां तक बिना टिन नं. के माल मंगवाने का प्रश्न है इस संबंध में अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत 10 लाख रुपये तक सालाना कारोबार करने वाले व्यवसायी को टिन नं. लेना आवश्यक नहीं है, ऐसी स्थिति में रुपये 1,17,180 का खरीदा गया माल बिना टिन नं. के खरीदने के आधार पर उसको करापवंचन से परिवहनित किया जाना कानूनसम्मत नहीं पाया जाता है।”

अपीलीय अधिकारी ने उक्त विधिक एवं तथ्यात्मक विवेचन के अनुसार जो निर्णय किया है उसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं है। प्रकरण में शास्ति का आरोपण धारा 76(6) के तहत किया गया है जो धारा 76(2) के प्रावधान का उल्लंघन होने पर ही किया सकता है, जबकि इस प्रकरण में माल के साथ विधिक बिल एवं बिल्टी संलग्न थे ऐसी स्थिति में धारा 76(2) को कोई उल्लंघन नहीं किया गया था। फलतः अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं होने से राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(के. प्र. जैन)
सदस्य